

राजस्थान सरकार  
निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाएँ

क्रमांक: एफ 15(7)(6)/लाईट्स/विधि/आईसीडीएस/17

जयपुर, दिनांक

समस्त प्रभारी अधिकारी, (वाद)

मुख्यालय।

समस्त उप निदेशक, मबावि

समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी,

विषय:- लम्बित न्यायिक प्रकरणों की सूचना उपलब्ध कराने बाबत।

संदर्भ:- उप शासन सचिव, मबावि का पत्र दिनांक 24.04.2018 के क्रम में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित पत्र के क्रम में समस्त प्रभारी अधिकारियों को लेख किया जाता है कि उप शासन सचिव, मबावि द्वारा लाईट्स सॉफ्टवेयर में दर्ज बकाया निम्नांकित विषयक न्यायिक प्रकरणों की सूचना दिनांक 27.04.2018 तक आवश्यक रूप से चाही गई है:-

1. रिप्लाय नोट फाइल्स केसेज
2. कन्टेम्पट केसेज
3. निर्णित प्रकरणों की पालना नहीं करने से शेष प्रकरण
4. 20 वर्ष से अधिक के लम्बित प्रकरण
5. अपील करने से शेष प्रकरण

अतः निर्देशानुसार लेख है कि उक्त प्रकरणों से संबंधित सूचना निम्नांकित प्रपत्र में, प्रकरणवार अलग-अलग तीन दिवस में भिजवाना सुनिश्चित करावे ताकि समेकित सूचना राज्य स्तरीय नोडल अधिकारी, लाईट्स एवं उप शासन सचिव महोदय, मबावि को भिजवाई जाना संभव हो सके।

क्र.स.	न्यायिक प्रकरण का क्रमांक	केस टाइटल	कब से लम्बित है	लम्बित रहने का कारण	अन्य विवरण

अति.निदेशक

समेकित बाल विकास सेवाएँ

राजस्थान जयपुर

जयपुर, दिनांक : 27/04/18

क्रमांक: एफ 15(7)(6)/लाईट्स/विधि/आईसीडीएस/17

प्रतिलिपि

1. उप शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान जयपुर
2. उप शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, शासन सचिवालय, राज. जयपुर।
3. उप निदेशक एवं एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, (कम्प्यूटर) मुख्यालय को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

अति.निदेशक

समेकित बाल विकास सेवाएँ

राजस्थान जयपुर